सार-समाचार

बैंक में डकैती की योजना बनाते पांच धरे

जयपुर। चित्तौड़गढ़ जिले के कस्बा बेंगू मे स्थित एसबीआई बैंक के गार्ड को बन्धक बना कर बैंक डकैती की योजना बनाते पुलिस ने चोरी, नकबजनी, लूट व डकैती करने वाली अन्तर्राज्यीय गैग के 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनसे वारदात मे प्रयुक्त चोरी की दो मोटरसाईकिल, दो तलवारे, एक छुर्री, एक रस्सी, लाल मिर्च पाउण्डर व एक नकब (टॉमी) जब्त की गई हैं। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि गैग की गिरफ्तारी से चित्तौडगढ के थाना बेगू, पारसोली, भैसरोडगढ, भीलवाडा के थाना माण्डलगढ, बिजौलिया, बिगोद, रायपुर, शाहपुरा, अजमेर के थाना बिजयनगर व मप्र के जिला नीमच के थाना रतनगढ व सिगोंली मे अलग-अलग स्थानों से की गई चोरी, नकबजनी, लूट व डकैती की डेढ दर्जन से अधिक वारदातो का खुलासा हुआ है। एसपी जोशी ने बताया कि बुधवार रात एसएचओ शिवलाल मीणा को सूचना मिली कि कस्बा बेगू मे स्थित एसबीआई बैंक मे डकैती डालने 5-6 व्यक्ति योजना बना रहे है सूचना पर टीम तुरन्त नीलकण्ठ महादेव मन्दिर के सामने पहुंची। जहां रावला बावडी के पीछे बनी 10 फीट ऊंची दीवार की ओट मे छिप कर 5 बदमाश कस्बा बेंगू स्थित एसबीआई बैंक के गार्ड को बन्धक बनाकर डकैती करने की बातें कर रहे थे।

बीमार हाथी रामू का चल रहा उपचार

उदयपुर, (कासं)। आवरी माता मन्दिर परिसर, सेन्ट्रल एरिया, रेती स्टेण्ड, उदयपुर में बीमार हाथी रामू के इलाज एवं प्रबंधन के लिए वन विभाग द्वारा समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उप वन सरंक्षक वन्यजीव उदयपुर सुनिल कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य वन सरंक्षक एस.आर.यादव के निर्देशन में हाथी के उपचार के लिए उचित प्रबंधन किए गए हैं। पशु पालन विभाग के उप निदेशक डॉ सुरेश जैन द्वारा गठित कमेटी सदस्य डॉ शेलेन्द्र शुक्ला, डॉ महेन्द्र मेहता, डॉ करमेन्द्र प्रताप एवं वन विभाग की देखरेख में वन तारा जामनगर के हाथी विशेषज्ञ पशु चिकित्सक डॉ गोविन्द, मथुरा वाईल्ड लाईफ एस.ओ.एस. हाथी विशेषज्ञ पशु चिकित्सक डॉ प्रमोद के निर्देशन में इलाज किया जा रहा है। सिंह ने बताया कि हाथी वर्तमान में लेटा हुआ है। मौके पर पशुपालन विभाग के सेवानिवृत अतिरिक्त निदेशक डॉ शरद अरोड़ा से मार्ग दर्शन लिया जा रहा है।

आवास से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे : जिला कलक्टर

■ कलक्टर की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक आयोजित

राजसमंद, जिला कलक्टर बालमुकुंद असावा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक लेते हुए दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान जिला परिषद सीईओ बृजमोहन बैरवा, नगर परिषद आयुक्त बृजेश राय, एक्सईएन तरूण कुमार बाहेती, अधिशाषी अधिकारी नाथद्वारा व देवगढ सहित सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों के साथ-साथ एविविएनएल एसई, पीएचईडी एसई आदि उपस्थित रहे। बैठक में कलक्टर ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और ग्रामीण का जिले में सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करना हैं।

एक भी पात्र व्यक्ति आवास से वंचित नहीं रहे। उन्होंने आवेदनों के निस्तारण की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आवास योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए। नगर परिषद राजसमंद आयुक्त बृजेश राय से मुख्यमंत्री जन आवास के प्रोजेक्ट की बारीकी से समीक्षा करने पर पाया कि यह कार्य काफी लंबित हो गया हैं और आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हुआ हैं जिस पर कलक्टर ने नाराजगी जताते हुए दीपावली से पहले 20 अक्टूबर तक पुलिस लाइन के पीछे निर्माणाधीन जन आवास के कार्य हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलक्टर ने कहा कि दीपावली को सभी आवास पूर्ण हो और लोग इस दीपावली को अपने घर में प्रवेश कर दीपावली मनाएं।

हम दीपावली पर आवास सौंप कर उन्हें खुशियां बांटे और सरकार का ध्येय भी साकार करें। आयुक्त ने बताया कि यहां 1०74 फ्लेट का कार्य होना था जिसमें से 7०० बन चुके हैं। वर्तमान में 282 हेंडओवर किए जा चुके हैं। कलक्टर ने शेष कार्य जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए और माहवार प्रगति प्रदान करने के निर्देश दिए। आवासों में पानी पहुंचाने संबंधी कार्य में व्यवधान होने पर कलक्टर ने आयुक्त और पीएचईडी को समन्वय स्थापित करते हुए समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। इसी तरह नाथद्वारा जन आवास के कार्यों की भी ईओ से चर्चा कर समीक्षा की। जिले में स्वच्छता संबंधी गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कलक्टर ने कहा कि स्वच्छ राजसमंद- स्वस्थ राजसमंद महाअभियान के तहत जो बेहतर परिवर्तन जिले में लाए थे वह बनाएं रखें। जहां भी सफाई संबंधी शिकायत प्राप्त हो उसका त्वरित समाधान कर आमजन को राहत प्रदान करें।

यह सुनिश्चित करें कि लोगों के घरों में घर-घर कचरा संग्रहण के वाहन समय पर पहुंचे और आमजन इधर-उधर कचरा फेंकने को विवश न हो। इसके लिए वाहनों की सतत मॉनिटरिंग करें, वाहनों का जीपीएस डाटा नियमित रूप से देखते रहें। अंत में कलक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी आपसी समन्वय से योजनाओं को सफल बनाएं।

ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने पर चर्चा

उदयपुर, । ईको टूरिज्म को लेकर बैठक गुरूवार को जिला कलक्टर के निर्देशन एवं एडीएम की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में हुई। उपनिदेशक पर्यटन शिखा सक्सेना ने वन विभाग द्वारा संचालित किया।

संस्कारों की पुनर्स्थापना से ही होगा सशक्त समाज का निर्माण : सारंगदेवोत

उदयपुर,(कासं)। तेजी से बदलते सामाजिक परिदृश्य और तकनीकी विकास के युग में शिक्षा केवल डिग्रियों तक सीमित न रहकर मूल्यों और संस्कारों से समृद्ध होनी चाहिए। इसी उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए राजस्थान विद्यापीठ के प्रबंध अध्ययन संकाय, प्रतापनगर में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा स्वीकृत सार्वभौमिक मानवीय मूल्य विषयक तीन दिवसीय फैकल्टी डवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ।

उद्घाटन सत्र में अध्यक्षीय उद्बोधन में कुलपति प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत ने कहा कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और परंपराएं विश्व में अद्वितीय रही हैं, जहां जीवन के मूल्य परिवार और गुरुकुल जैसे संस्थानों से सहज रूप में प्राप्त होते थे। उन्होंने चिंता जताई कि संयुक्त परिवारों के विघटन के साथ ही इन मूल्यों में गिरावट आई है, जिससे आज का समाज दिशाहीन होता जा रहा है। उन्होंने इस प्रकार की कार्यशालाओं को आत्मचिंतन और सामाजिक पुनर्निर्माण का सशक्त माध्यम बताया।

कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय की डीन, फैकल्टी ऑफ ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन, डॉ. अलका स्वामी ने बताया कि एआईसीटीई देशभर में मूल्य आधारित शिक्षा को बढावा देने के लिए कार्यशालाओं का संचालन कर रही है। उन्होंने कहा कि तकनीकी दक्षता के साथ आत्म-संतुष्टि, सहज स्वीकृति, निरंतरता तथा सुख और समृद्धि जैसे विषयों को समझना और आत्मसात करना आज की शिक्षा का अहम भाग होना चाहिए।

विषय विशेषज्ञ प्रो. बीके शर्मा ने भी मूल्यनिष्ठ जीवन के महत्व को रेखांकित किया।एआईसीटीई की ओर से कार्यक्रम पर्यवेक्षक व बीकानेर तकनीकी विवि के फैकल्टी ऑफ ह्यूमन वैल्य एजुकेशन की सहायक डीन डॉ. सरोज लखावत ने मूल्य परक शिक्षा के औचित्य पर प्रकाश डाला।

आयोजन समिति की अध्यक्ष डॉ. नीरू राठौड ने बताया कि कार्यक्रम में आत्म-अन्वेषण, प्रसन्नताऔर समृद्धि, परिवार-समाज-प्रकृति-अस्तित्व में सद्भाव, विश्वास और सम्मान जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। संयोजक डॉ. चंद्रेश छतलानी ने बताया कि इस कार्यक्रम को पूर्णत: एआईसीटीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित किया जा रहा है तथा यह शिक्षकों को एक संवेदनशील एवं सशक्त समाज निर्माता के रूप में देखने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।प्रारंभ में डॉ. हिना खान ने अतिथियों का स्वागत करते हुए परिचय प्रस्तुत किया। उक्त जानकारी निजी सचिव केके कुमावत ने दी।

ग्राम पंचायत के परिसमन बदलाव पर भड़के ग्रामीण

राजसमंद, (निसं)। आमेट तहसील के लिकी ग्राम पंचायत नये परिसीमन के तहत भोलीखेडा गांव को नई ग्राम पंचायत मुख्यालय को बनाने का वादा कर बाद में बदलने पर 1०. गांवो के सैंकडो ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलक्टर बालमुकुंद को ज्ञापन सौंपा। परिसीमन बदलते हुए भोपजी का खेडा गांव को मुख्यालय करने के निर्णय के खिलाफ ग्रामीणों ने गुरुवार को जिला कलक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। ज्ञापन में ग्रामीण ने बताया कि अगर समय रहते हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आने वाले पंचायती राज चुनाव का विरोध करेंगे तथा नई पंचायत के गठन का बहिष्कार करते हुए संघर्ष जारी रखेंगे। ग्रामीणों ने बताया की ग्राम पंचायत लिकी नए परिसीमन के संबंध के पूर्व में सरकार तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा यह बात तय की गई की नई पंचायत का मुख्यालय भोलीखेडा होगा। किंतु दो दिन पूर्व ही नई पंचायत के मुख्यालय को बदलते हुए पास के गांव भोपजी का खेडा को चुने जाने की बात पर आसपास के 1० गांव के ग्रामीण भडक गए।

स्थाई लोक अदालत ने न्यायमित्र गुप्ता के पत्र को गंभीरता से लिया

■ नगर परिषद ने असहयोग किया तो मानी जाएगी न्यायालय की अवमानना, दंडात्मक कार्यवाही होगी

बांसवाडा, । स्थाई लोक अदालत बांसवाडा ने न्यायमित्र के.के. गुप्ता द्वारा प्रेषित पत्र को गंभीरता से लिया है। स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष ने नगर परिषद बांसवाडा को न्याय मित्र को पूर्ण सहयोग के लिए पाबंद किया है और कहा है कि यदि न्याय मित्र द्वारा किसी तरह के असहयोग संबंधी शिकायत मिली तो यह न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी और न्यायालय दंडात्मक कार्यवाही के लिए अग्रसर होगी।

उल्लेखनीय है कि नगर निकाय बांसवाडा क्षेत्र की स्वच्छता को लेकर स्थाई लोक अदालत ने के.के. गुप्ता को न्याय मित्र नियुक्त किया था। स्वच्छता के विशेषज्ञ और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रदेश समन्वयक गुप्ता ने न्यायालय की नियुक्ति पर तत्काल न्याय मित्र की जिम्मेदारी संभाली और बांसवाडा की शहरी स्वच्छता को लेकर तेज गति से काम शुरू किया। गुप्ता को न्याय मित्र बनाने का परिणाम भी आशातीत रूप से सामने आया। कुछ ही दिनों में बांसवाडा में बदलाव की बयार देखी गई। बांसवाडा शहर के वार्डो में सफाई, नालियों की हाई प्रेशर मशीन से नियमित सफाई, सामुदायिक शौचालय एवं मूत्रालय की नियमित दिन में तीन बार सफाई,लंबे समय से लिंबित सीवरेज कनेक्शन को तीव्र गति से करना, सडकों का नवीनीकरण एवं रिपेयरिंग कार्य सिद्ध करवाना, हर घर से नियमित कचरा उठाना, डिवाईडर के रंगरोगन, गंदगी से संबंधित शिकायतों का 24 घंटे में निस्तारण करना, उद्यानों की देखरेख और सडको की सफाई के साथ खासकर रात्रिकालीन सफाई प्रारंभ की गई। शहरभर में अव्यवस्थित पोल को हटाने का कार्य किया । शहर की जनता के साथ नियमित बैठक और अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर गुप्ता ने जागरूकता लाने का कार्य किया। बांसवाडा स्वच्छता की राह चल पडा था, लेकिन नगर परिषद अधिकारियों की ओर से आवश्यक सहयोग में कमी को न्याय मित्र गुप्ता ने गंभीरता से लिया। गुप्ता ने इसे लेकर स्थाई लोक अदालत को पत्र लिखे और वस्तुस्थिति से अवगत कराया। न्याय मित्र गुप्ता ने न्यायालय को पत्र लिखकर नगर परिषद की ओर से हो रहे असहयोग से अवगत कराया था।

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F.7/12 /PLAN/LANDUSE/2024-25/705 **आम सूचना** दिनांक : 23/4/2025

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य सिविल रिट संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा पारित निर्णय के क्रम में सरकार के विभागीय आदेश दिनांक 20-07-2017 के अनुसार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर वृहद/व्यापक जनहित के दृष्टिगत मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन अनुज्ञये किये जाने के संबंध मे प्रदत्त आदेशों/परिपत्रों की अनुपालना मे निम्नलिखित प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन बाबत विचाराधीन है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम/योजना	खसरा संख्या / ब्लॉक संख्या	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	भूखण्ड / भूमि की स्थिति	भू-उपयोग परिवर्तन
1	श्रीमती हुरज देवी पटेल पिता वरदा पटेल (पत्नी श्री दलीचन्द डांगी)	सवीना	155 से 157, 163/2 से 172	05	1920.00 वर्गफीट	सविना चौराहे से जडाव नर्सरी जाने वाली 150 फीट सडक पर चारभुजा ग्रुप नामक भवन के समीप स्थित है।	आवासीय उपयोग से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ

उक्त प्रकरण के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्राधिकरण कार्यालय में इस सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिवस में किसी भी कार्य दिवस में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है। इस समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही होने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

भीसी LIFE

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

एफ: 470, यू.सी.सी.आई. भवन के पास, मेवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, मादडी, उदयपुर (राज.)
ई-मेल: rorpcbudaipur@gmail.com फोन नं.: 0294-2491269

पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये आम सूचना

विषय:- श्रीमती निर्मला कुंवर शक्तावत, श्रीमती सीमा कुंवर सोलंकी एण्ड श्री हर्षवर्धन सिंह राठौड, एम.एल.न. 12/2024 (क्षेत्रफल 1.8054 हैक्टेयर) 'क्वार्ट्ज, फैल्सपार, एवं मेसेनरी स्टोन, ग्राम-माल की दूस. तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती निर्मला कुंवर शक्तावत, श्रीमती सीमा कुंवर सोलंकी एण्ड श्री हर्षवर्धन सिंह राठौड, एम.एल.न. 12/2024 (क्षेत्रफल 1.8054 हैक्टेयर) क्वार्ट्ज, फैल्सपार एवं मेसेनरी स्टोन, ग्राम-माल की दूस, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर प्रस्तावित परियोजना क्वार्ट्ज, फैल्सपार एवं मेसेनरी स्टोन माईन (एम.एल.न. 12/2024, क्षेत्रफल 1.8054 हैक्टेयर) उत्पादन परियोजना क्षमता 2,61,020 टन प्रतिवर्ष (रोम) का प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहां तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई बाबत आवेदन किया गया है।

2. और चूंकि मण्डल को उक्तपरियोजना हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 1533 दिनांक 14.9.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

3. उक्त परियोजना से सबन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-1) कार्यालय जिला कलेक्टर, उदयपुर। 2) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। 3) क्षेत्रीय कार्यालय वन, पर्यावरण एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ए-216, अरन्य भवन संस्थानिक क्षेत्र झालाना डुँगरी, जयपुर। 4) क्षेत्रीय कार्यालय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, 5वां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, उदयपुर। 6) उपखण्ड अधिकारी, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर। 7) सरपंच, ग्राम माल की दूस, तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर। 8) निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितिय तल, उप (एसएसओ) भवन, सचिवालय, जयपुर। 9) क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ-470, मेवाड औद्योगिक क्षेत्र, मादडी उदयपुर (राज.)।

अत: सर्व साधारण को नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्तपरियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित लोक सुनवाई दिनांक 12.06.2025 (गुरुवार) को प्रात: 11:00 बजे, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम-माल की दूस. तहसील-वल्लभनगर, जिला-उदयपुर में उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है। साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण, मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर मे भी प्रस्तुत किये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी

SBI भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India

रासमेक, प्लॉट नं. 1, ब्लॉक-सी, प्रथम तल, सेन्ट्रल कॉमर्शियल एरिया, परशुराम चौराहा के पास, उदयपुर, राजस्थान 313001, ई-मेल: sbi.31871@sbi.co.in

मांग सूचना-सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत

निम्नांकित ऋणियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उन्होंने बैंक से लिए गए ऋण की किश्तों एवं उसके ब्याज का समय पर भुगतान नहीं किया अत: उनका खाता एन.पी.ए. में वर्गीकृत हो गया हैं। बैंक द्वारा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत उनको बैंक रिकॉर्ड के अनुसार उनके अन्तिम ज्ञात पते पर नोटिस जारी किए गए थे जो कि उनके द्वारा प्राप्त नहीं किए जाने के फलस्वरूप पुन: लौटकर आ गए हैं। अत: उनको इस सामान्य नोटिस के द्वारा उक्त अधिनियम के तहत इस बारे में सूचित किया जाता है:

ऋणियों का नाम एवं पता	प्रतिभूत आस्तियों/ बंधक सम्पत्ति का विवरण	नोटिस 13(2) की दिनांक	बकाया राशि (नोटिस 13(2) के अनुसार)
श्री प्रभु लाल गुर्जर पुत्र श्री नाथू लाल गुर्जर एवं सह-ऋणी श्रीमती हेमलता गुर्जर पत्नी श्री प्रभु लाल गुर्जर एवं श्री मुकेश गुर्जर पुत्र श्री प्रभु लाल गुर्जर मकान नं. 04, अरिहन्त विहार, टेक्नॉप सर्विस के सामने, गोवर्धन विलास, सेक्टर-14, हिरण मगरी, उदयपुर, राजस्थान-313001	श्री प्रभु लाल गुर्जर पुत्र श्री नाथू लाल गुर्जर एवं श्रीमती हेमलता गुर्जर पत्नी श्री प्रभु लाल गुर्जर के नाम साम्यिक बंधक आवासीय मकान जो प्लॉट नं. 04, राजस्व गाँव देवाली, गोवर्धन विलास, खसरा नं. 702 से 711, 1079/710, जिला उदयपुर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3000.00 वर्ग फीट है। सीमाएं- पूर्व: प्लॉट नं. 05, पश्चिम: प्लॉट नं. 03, उत्तर: आरावी नं. 681, दक्षिण: रोड़ 40 फीट	17.04.2025 गैर निष्पादक आस्ति (एनपीए) दिनांक 15.04.2025	दिनांक 17.04.2025 को बकाया राशि रू. 99,69,957.29 (रूपये निन्यानवे लाख उनहतर हजार नौ सौ सतावन एवं पैसे उनतीस मात्र) (दिनांक 16.04.2025 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे आदि।

इस नोटिस के द्वारा उक्त ऋणियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही करते हुए उक्त उधारकर्ताओं को उक्त बकाया राशि इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिवस के भीतर पुनर्भुगतान हेतु आगाह किया जाता है, अन्यथा साठ (60) दिवस की समाप्ति के पश्चात सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत वसूली कार्यवाही की जाएगी। ऋणियों को यह भी सलाह दी जाती हैं कि वे बैंक के अधोहस्ताक्षरकर्ता/प्राधिकृत अधिकारी से किसी भी कार्य दिवस पर 13(2) के अन्तर्गत जारी नोटिस की मूल प्रति प्राप्त कर लेवें।

कर्जदारों का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

दिनांक: 24.04.2025
स्थान: उदयपुर

हस्ता.
प्राधिकृत अधिकारी
भारतीय स्टेट बैंक

! आईये ! ! श्री शनिश्चराय नमः ! ! देखिये !

श्री शनिमहाराज का विशाल मेला

संवत् 2082 का मिति वैशाख बुदी 14, शनिवार, 26 अप्रेल 2025 से वैशाख सुदी 1, सोमवार, 28 अप्रेल 2025 तक

ग्राम श्री शनिमहाराज (आली), तह. कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यक्रम

शनिवार, 26 अप्रेल 2025

विशाल भजन संध्या

आकृति मिश्रा एण्ड पार्टी (नवलगढ़)

नृत्यांगना : काजल मेहरा, कृष्णा, भीलवाड़ा
कोमेडी : दिनेश छेला
भजन : भेरूलाल भाट
गायक भावेश कुमार

रविवार, 27 अप्रेल 2025

सुपर स्टार कलाकारा
राणी रंगीली एण्ड पार्टी द्वारा कार्यक्रम

1. नृत्यकारा : हंसा रंगीली, राखी रंगीली
2. डांसर : रवीना, मुस्कान, भारती
3. कॉमेडी : रमेश कुमार

मंच संचालन
कु. महेन्द्र सिंह

लक्की साउण्ड
भीलवाड़ा

सोमवार, 28 अप्रेल 2025

तुर्रा कलंगी दंगल

ऑग्रनाईजर :
ऊँकार दास वैष्णव
पंचदेवला

श्री उस्मान जी, घोसुण्डा
श्री भगवतीलाल जी, चिकारड़ा
श्री दुर्गेश जी, लालपुरा
श्री लादु जी सेन, बरडोद
श्री धीरज जी, बीनोता
श्री सत्तु जी, चिकारड़ा
श्री लोकेश जी, गरदाना

अध्यक्ष :	उपाध्यक्ष :	मंत्री :	संरक्षक :	कोषाध्यक्ष :	सचिव :	प्रशासक ग्राम पंचायत उचनार खुर्द	महामंत्री :	उपमंत्री :	मनोनित उपाध्यक्ष :
श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौहान मो. : 9887497172	श्री मादुलाल जाट मो. : 9928457121	श्री छगनलाल गुर्जर मो. : 8094342518	श्री पवन कुमार सांखला मो. : 9414777771	श्री गोपाल कृष्ण शर्मा मो. : 9772941420	श्री कालु सिंह चौहान मो. : 9929687644	श्रीमती नारायणी देवी जाट	श्री कालुराम कुम्हार	श्री गोपाललाल सुथार	श्री रुपलाल गाडरी

आयोजक : प्रबन्ध कारिणी कमेटी, श्री शनिमहाराज (आली)

सलाहकार समिति सदस्य श्री रामेश्वरलाल सुथार , श्री प्रकाश चन्द्र जाट, श्री रतनलाल गाडरी, श्री भेरूलाल लोधा, श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा, श्री भेरूलाल जाट, श्री टोलुदास वैष्णव

सदस्यगण : श्री कालुलाल कीर, श्री मदन सिंह राणावत, श्री गेहरीलाल गाडरी, श्री देवी सिंह चारण, श्री रामचन्द्र कीर, श्री भेरूलाल लौहार, श्री सत्यनारायण जाट

कृपया शनि महाराज मंदिर का पता जानने हेतु निम्न साईट देखें. - http.//www.shanimaharaj.org/ (फोन नं.) 01476-294500

नाड़ीवाल ऑफसेट - 9929824640